



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012020-215224
CG-DL-E-08012020-215224

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2020/पौष 18, 1941

No. 17]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020/PAUSHA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 73 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019 में, नियम (1) के, उप नियम (2) में, "9 जनवरी 2020" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अप्रैल 2020" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-33013/3/2019-एसटी-1, डीओआर-पार्ट-3]

ऋत्तिक पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या सा.का.नि. 901(अ) तारीख 10 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2020

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by section 73A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019, namely:—

- (1) (1) These rules may be called as the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) (Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019, in rule (1), in sub-rule (2), for the words and figures “9 day of January 2020” the words, figures and letters “1st day of April 2020” shall be substituted.

[F. No. S-33013/3/2019-ST-I, DOR-Part 3]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 901(E), dated the 10th December, 2019.